संख्या-1757/बयालिस-2021-16(बजट)/2019

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021**

विषय :- वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर पैवेलियन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 282/2021-22, दिनांक 10 अगस्त, 2021, पत्र संख्या- जी0- 433/नि0 स्पो0कालेज गोरखपुर पत्रा0/2021-22, दिनांक 22 सितम्बर, 2021, शासनादेश संख्या- 1502/बयालिस-2019-16(बजट)/2019, दिनांक 13 अगस्त, 2019, शासनादेश संख्या-466/बयालिस-2019-16(बजट)/2019, दिनांक 05.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-1434/बयालिस-2020-16(बजट)/2019, दिनांक 09.10.2020 एवं शासनादेश संख्या-34/बयालिस-2021-16(बजट)/2019, दिनांक 14.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर पैवेलियन के निर्माण के सम्बन्ध में गठित फेज- ए का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 801.44 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त जी0एस0टी0 की वांछित धनराशि रू0 96.16 लाख को मूल लागत रू0 801.44 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) में जोडते हुए कुल रू0 897.60 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष देय धनराशि रू0 96.16 लाख (रूपया छियान्वे लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद संख्या- मद संख्या–6111-एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर पैवेलियन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 96.16 लाख (रूपया छियान्वे लाख सोलह हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध करायी जायेगा, जिसका उपयोग निर्माण इकाई द्वारा जी0एस0टी0 के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु नही किया जायेगा।

(2)- निदेशक, खेल द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0एस0टी0 की शुद्धता का दायित्व निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(3)- शासनादेश संख्या- 1502/बयालिस-2019-16(बजट)/2019, दिनांक 13 अगस्त, 2019, शासनादेश संख्या- 466/बयालिस-2019-16(बजट)/2019, दिनांक 05.03.2020 एवं शासनादेश संख्या- 1434/बयालिस-2020-16(बजट)/2019, दिनांक 09.10.2020 एवं शासनादेश संख्या- 34/बयालिस-2021-16(बजट)/2019, दिनांक 14.01.2021 में अंकित शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

(4) निदेशक, खेल कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराने हेतु समय-समय पर समिति गठित कर जॉच कराये, उक्त के उपरान्त कार्य से संतुष्ट होने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ता समिति से जॉच कराने के उपरान्त पूर्णतय: संतुष्ट होने के उपरान्त ही हैंडओवर- टेकओवर की कार्यवाही करायें।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 22.03.2021 की शेष व्यवस्थाऐं यथावत् लागू रहेंगी।

(7) उक्त धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231-2021**,** दिनांक 22.03.2021 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2021-22 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6111-एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर पैवेलियन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1757(1)/बयालिस-2021-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
11- नियोजन अनुभाग- 4
12- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0 प्र0 शासन।
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।